उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-18 /2019/442/52-1-2019-8(पी0एम0जे0वी0के0)/2019
लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2019

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त में से दो माह हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-13/2019/369/बावन-1-2019-8(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 08.03.2019 के प्रस्तर-2 में सारणी के क्रम संख्या-17 पर कालम-2 (जनपद) में अंकित "**शाहजहाँपुर**" के स्थान पर "**सहारनपुर**" तथा क्रमांक-18 पर कालम-3 (परियोजना/स्थान का नाम) में अंकित ''**सन्था एवं सेमरिया में पेयजल आपूर्ति**'' के स्थान पर ''**सांथा एवं सेमरियावां में पेयजल आपूर्ति**" तथा कालम-5 (कार्यदायी संस्था) में अंकित ''**उ0प्र0 प्रोजेक्ट कापोरशन लि0**'' के स्थान पर "**उ0प्र0 स्टेट कन्सट्र0 एण्ड इन्फ्रस्ट0 डेवल0 कारपो0 लि0 (सिडको)**'' पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-13/2019/369/बावन-1-2019-8 (पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 08.03.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश तथा शर्तें यथावत रहेंगे।

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-442(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।

9- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (तालिका के **कॉलम-5)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय सेप्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in